



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड गाजियाबाद-02
सेक्टर-16ए वसुन्धरा काम्पलैक्स गाजियाबाद-201012



पत्रांक:- 2568

/ M-1 / 78

दिनांक:- 13/10/2025

अल्पकालीन कुटेशन नोटिस

अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिषद में पंजीकृत ठेकेदारों से सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-7 में स्थित 01 नग शिरोपरि जलाशय की सफाई के कार्य हेतु प्रतिस्पर्धात्मक मुहरबंद कुटेशन दिनांक 21/10/25 के अपरान्ह 3.00 बजे तक खण्ड कार्यालय में आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित कुटेशनदाताओं के समक्ष खोली जायेंगी।

S. No.	Item	Quantity	Unit	Rate	Amount
1-	Cleaning of 01 No. overhead tank capacity 1700 K.L. at Sector-7, Siddharth Vihar Yojna, Ghazibad at all heights with steel wire/coconut brushes, duster etc. removal of silt, Rubbish from the tank and cleaning the tank with fresh water disinfecting with bleaching powder @ 0.50gm per litre capacity of tank including marking the date of cleaning on the side of tank body with the help of stencil and paint and disposing of malba all complete as per direction of E/I. (The old date already written on tank should be removed with paint remover and rewrite new date of cleaning (if during cleaning any GI fittings or ball cock is damaged that is to be repaired by contractor as his own cost and nothing extra will be paid on this account.	1700000	Lt.		

Conditions:-

- कार्य यू.पी.पी.डब्ल्यू.डी./यू.पी. जल निगम/यू.पी.ए.वी.पी. की विशिष्टियों के अनुरूप किया जायेगा।
- जी0एस0टी0 का भुगतान अतिरिक्त रूप से नियमानुसार देय होगा।
- कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 दिवस होगी।
- यदि किसी कारणवश कुटेशन सूचना में उल्लिखित तिथियों का अवकाश हो जाता है तो कुटेशन अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
- कार्य पर लगने वाले श्रमिकों की सुरक्षा हेतु समस्त आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था तथा श्रमिकों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार का होगा।
- कुटेशनदाता/फर्म को जी0एस0टी0 में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
- कुटेशनदाता द्वारा कुटेशन में दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्र के गलत पाये जाने पर कुटेशनदाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं कुटेशन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी कार्य आदेश के पश्चात् होती है तो आदेश उसी समय निरस्त कर दिया जायेगा।
- अधोहस्ताक्षरी द्वारा कोई भी अथवा समस्त कुटेशन बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
- सशर्त कुटेशन मान्य नहीं होगी।

(विकास गौतम)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0स0 2568 / उक्त /

दिनांक 13/10/25

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधीक्षण अभियन्ता, गाजियाबाद वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद।
- सहायक अभियन्ता-प्रथम/सम्बन्धित अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड गाजियाबाद-02, गाजियाबाद।
- इंचार्ज कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को परिषद वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- नोटिस बोर्ड।

अधिशासी अभियन्ता